तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 63/2025 बअनवान सता बनाम शंकरराम के का. मु. वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

आदेश

दिनांक 31.07.2025

उपस्थिति–

1. अपीलांट की तरफ से वकील श्री रमेश सोलंकी।
2. रेस्पो. संख्या 02 की तरफ से वकील श्री मुकेश जैन।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं संयुक्त कब्जे–काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं हैं। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। रेस्पोडेन्ट भी हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में रिकार्डेड पक्षकार हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकार भिन्न–भिन्न बनाये हैं। विप्रार्थी संख्या 05 फूलसिंह व विप्रार्थी संख्या 06 हेमकंवर को पक्षकार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानबूझकर संयोजित नहीं किया गया है। उक्तानुसार आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन होने से हस्तगत अपील चलने योग्य नहीं है। उक्तानुसार मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

WLN (2014)4 Page 260
RRT 2012 Page 358
RRT 2022-23(Supp) Page 176

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना—पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र में उल्लेखित समस्त पक्षकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि विधि अनुसार इन्हें आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा हो रहे है। जिससे हाजा न्यायालय की राय में अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

31/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर